अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

24 29.08.2023	न्यायालय उपायुक्त, रॉची विविध अपील वाद सं० 48 आर० 15/2020–21 1. राजकुमार भगत पिता स्व० चारू उरॉव 2. बसंत उरॉव पिता स्व० लक्ष्मण उरॉव 3. नंदलाल उरॉव पिता स्व० लक्ष्मण उरॉव 4. करमचंद उरॉव पिता स्व० लक्ष्मण उरॉव सभी निवासी ग्राम इरबा, पोस्ट इरबा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची .... अपीलकर्त्ता बनाम 1. मनोहर उरॉव पिता स्व० लक्ष्मण उरॉव निवासी टंगरा टोली, इरबा, पोस्ट इरबा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची 2. अश्रीता कच्छप पति मिराज अंसारी पिता स्व० जोहन कच्छप निवासी महुआ टोली, नामकुम, थाना एवं पोस्ट नामकुम, जिला रॉची वर्त्तमान निवासी ग्राम तिरला, पोस्ट हेन्देबिली, थाना ओरमांझी, जिला रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 (4) ए० के तहत्त दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी सं० 1 के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति वाद सं० 2343 आर० 8 II/18–19 मे विद्वान लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची द्वारा दिनांक 03.12.2019 को	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

स्वीकृत आदेश के आलोक मे उत्तरवादी सं० 2 के पक्ष मे मौजा इरबा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची के खाता सं० 77, प्लॉट सं० 939 रकबा 8 डी० भूमि के हस्तांतरण को निष्फल (annul) करने का प्रार्थना किया है।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपलीकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:43:40 -08:00
Location: 192.168.1.4